HARYANA VIDHAN SABHA

Bill No. 31— HLA OF 2022

THE HARYANA ENTERPRISES PROMOTION (AMENDMENT) BILL, 2022

A

BILL

further to amend the Haryana Enterprises Promotion Act, 2016.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-third Year of the Republic of India as follows:-

Short title.

1. This Act may be called the Haryana Enterprises Promotion (Amendment) Act, 2022.

Amendment of section 3 of Haryana Act 6 of 2016.

2. For clause (iv) of sub-section (3) of section 3 of the Haryana Enterprises Promotion Act, 2016, the following clause shall be substituted, namely:-

"(iv) to approve any incentives, relaxations, exemptions or grant clearances on the recommendations of the Empowered Executive Committee in mega projects and ultra mega projects beyond the package of fiscal incentives under any policy for industrial development or for industrial development of any sector in force as notified by the State Government from time to time;".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The State Government enacted Haryana Enterprises Promotion Act, 2016, and corresponding rules, to create an ecosystem in which the Ease of Doing Business in the State matches and even exceeds the best global standards to reduce delays as well as the costs of doing business in the State. Haryana Enterprise Promotion Board (HEPB) has been constituted under section 3 of the Haryana Enterprises Promotion Act, 2016 and Empowered Executive Committee (EEC) has been constituted under section 4 of the said Act. Functions of Haryana Enterprise Promotion Board are given in section 3 (3) of the Haryana Enterprises Promotion Act, 2016. As per Clause (iv) of sub-section (3) of section 3 of the said Act, the Government was providing fiscal incentives to industries as per Enterprise Promotion Policy, 2015.

The State Government has notified new Industrial policy namely 'Haryana Enterprises and Employment Policy, 2020' (replacing the Enterprise Promotion Policy which was valid till 31.12.2020) on 29.12.2020, which is effective from 01.01.2021 to 31.12.2025. The State Government is giving fiscal incentives to the industries of the state under this scheme now. Further, the State Government may announce new policy from time to time for promotion and development of industries or for industrial development of any sector.

In light of the above, clause (iv) of sub-section (3) of section 3 of the Haryana Enterprises Promotion Act, 2016 is proposed to be amended.

DUSHYANT CHAUTALA,
Deputy Chief Minister, Haryana.

CHANDIGARH:
The 22nd December, 2022

R. K. NANDAL,
Secretary.

N. B.— The above Bill was published in the Haryana Government Gazette (Extraordinary), dated the 22nd December, 2022, under proviso to rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly.

ANNEXURE

Extract from the Haryana Enterprises Promotion Act, 2016.

1. Clause (iv) of sub section (3) of Section 3 of Haryana Enterprises Promotion Act, 2016:

(i) XXXXXX

(ii) XXXXXX

(iii) XXXXXX

(iv) To approve any incentives, relaxations, exemptions or grant clearances on the recommendations of the Empowered Executive Committee in mega projects and ultra mega projects beyond the package of fiscal incentives under the Enterprise Promotion Policy, 2015.

10069—H.V.S.—H.G.P., Pkl.

[प्राधिकृत अनुवाद]

हरियाणा विधान सभा

2022 का विधेयक संख्या 31–एच०एल०ए०

हरियाणा उद्यम प्रोन्नति (संशोधन) विधेयक, 2022

हरियाणा उद्यम प्रोन्नति अधिनियम, 2016, को आगे संशोधित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

1. यह अधिनियम हरियाणा उद्यम प्रोन्नति (संशोधन) अधिनियम, 2022, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. हरियाणा उद्यम प्रोन्नति अधिनियम, 2016 की धारा 3 की उप–धारा (3) के खण्ड (iv) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया गया, अर्थात्:– 2016 के हरियाणा अधिनियम 6 की धारा 3 का संशोधन।

"(iv) औद्योगिक विकास के लिए या किसी सेक्टर के औद्योगिक विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथा अधिसूचित लागू पॉलिसी के अधीन वित्तीय प्रोत्साहनों के पैकेज के बाहर मेगा परियोजनों तथा अल्ट्रा मेगा परियोजनों में सशक्त कार्यकारी समिति की सिफारिशों पर कोई प्रोत्साहन देने, रियायत देने, छूट का अनुमोदन करना या समाशोधन प्रदान करना;"।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

राज्य सरकार ने राज्य में एक इको सिस्टम बनाने के लिए जिसमें इज ऑफ डुइंग बिजनेस को अन्य राज्यों से मेल खाता हुआ व व्यापार शुरू करने के लिए मंजूरी प्राप्त करने में देरी को कम करने एवं लागत को, वैश्विक मानकों से भी कम करने के लिए हरियाणा उद्यम प्रोन्नति अधिनियम, 2016 व संबंधित नियम बनाये थे। हरियाणा उद्यम संवर्धन बोर्ड (एचईपीबी) का गठन हरियाणा उद्यम संवर्धन अधिनियम, 2016 की धारा 3 के तहत किया गया है और उक्त अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिकार प्राप्त कार्यकारी समिति (ईईसी) का गठन किया गया है। हरियाणा उद्यम संवर्धन बोर्ड के कार्यों का विवरण हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 की धारा 3 उप धारा (3) में दिया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 3 उप धारा (3) खंड (iv) के अनुसार, सरकार उद्योगों को उद्यम प्रोत्साहन नीति, 2015 के अनुसार वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही थी।

राज्य सरकार ने दिनांक 29.12.2020 को 'हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति, 2020' (31.12.2020 तक मान्य उद्यम प्रोत्साहन नीति के स्थान पर) नई औद्योगिक नीति अधिसूचित की है, जो 01.01.2021 से 31.12.2025 तक प्रभावी है। राज्य सरकार इस योजना के तहत अब राज्य के उद्योगों को वित्तीय प्रोत्साहन दे रही है। आगे, राज्य सरकार उद्योगों के संवर्धन एवं विकास अथवा किसी क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए समय-समय पर नई नीति की घोषणा कर सकती है।

उपरोक्त के आलोक में, हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 की धारा 3 उप धारा (3) खंड (iv) में संशोधन करने का प्रस्ताव है।

दुष्यंत चौटाला,
उप-मुख्यमंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़: आर० के० नांदल,
दिनांक 22 दिसम्बर, 2022. सचिव।

अवधेय: उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 22 दिसम्बर, 2022 के हरियाणा गवर्नमैंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।

अनुबन्ध

हरियाणा उद्यम संवर्धन अधिनियम, 2016 से उद्धरण

1. हरियाणा उद्यम संवर्धन अधिनियम, 2016 की धारा 3 उप धारा (3) खंड (iv);

(i) XXXXXX

(ii) XXXXXX

(iii) XXXXXX

(iv) उद्यम प्रोत्साहन नीति, 2015 के तहत वित्तीय प्रोत्साहनो के पैकेज से परे मेगा परियोजनाओं और अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं में अधिकार प्राप्त कार्यकारी समिति की सिफारिशों पर किसी भी प्रोत्साहन, छूट, छूट या अनुदान मंजूरी को मंजूरी देना।

10069—H.V.S.—H.G.P.,Pkl.